विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रश्न संख्या तारांकित : 1408

उत्तर की तिथि : 26.08.2019

विषय : दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई:

प्रश्नकर्त्ता का नाम : श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) :

सम्बन्धित मन्त्री : मुख्य मन्त्री।

प्रश्न	उत्तर
यह सत्य है कि गत वर्ष दिनांक 31–07–2019 तक जिला किन्नौर के सरकारी डिपूओं में एक्सपाइरी डेट की दालें बांटी गई; यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है तथा सरकार ने दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की; ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या: 1408 जो कि माननीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) द्वारा 'दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई' बारे पूछा गया है से सम्बन्धित सूचनाः—

जिला किन्नौर की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले में खाद्यान्नों का अग्रिम रूप में भण्डारण किया जाता है। दालों के पैकेटों पर **"BEST BEFORE 04 MONTHS"** लिखा होता है, परन्तु वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनज़र जिला किन्नौर में खाद्यान्न जल्दी खराब नहीं होते हैं। जिला में कार्यरत थोक गोदाम, हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ''पैकिंग तिथि अक्तूबर, 2018 की दालें वितरित की जा रही हैं, जिनमें **"BEST BEFORE 04 MONTHS"** अंकित है। मामला संज्ञान में आने पर दालों के सैम्पल इक्ट्ठे किये गये, जिनका विश्लेषण निदेशालय स्थित प्रयोगशाला में करवाया गया, जो विश्लेषण उपरान्त निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये गये हैं। अतः स्वास्थ्य के लिए यह दालें हानिकारक नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि दालों पर कोई **Expiry date** नहीं होती जबकि **"BEST BEFORE 04 MONTHS"** अंकित होता है। नमूनों के विश्लेषण के दौरान ये दालें निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप/सही पाई गई है। अत: किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई वांछित नहीं है।

*****